प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 6

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, अजमेर .... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022..........

प्र. इ. रि. स. ......296/2022 दिनांक ....08/10/2022..........

2. (अ) अधिनियम ... भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 ......धारायें...7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 ....
   (ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. .... 120बी भा.द.सं.......... ....
   (स) अधिनियम ....धारायें..........
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ......110......समय......11 P.M.......
   (ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 07.10..2022.... समय 12.03 पी.एम. ....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 03.10.2022 समय......01.30 पीएम..........

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा दक्षिण–पश्चिम 73 किलोमीटर ....
   (ब) पता – महेश हार्डवेयर एवं प्लाईवुड, होण्डा शोरूम के पास, बालाजी रोड़, बिजयनगर बीट सख्या .... जरायमदेही सं.........
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना..........जिला..........

6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम.... श्री अरूण कुमार जोशी..........
   (ब) पिता का नाम श्री शिव प्रसाद जोशी ....
   (स) जन्म तिथि /वर्ष 47 साल..........
   (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी..........
   जारी होने की जगह..........
   (र) व्यवसाय...... ....ठेकेदारी ....
   (ल) पता ... 66, शास्त्री कॉलोनी बिजयनगर, जिला अजमेर ....

7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. श्री महेश कुमार जैन पुत्र श्री रमेश चंद जैन उम्र 32 साल निवासी न्यू कॉलोनी, एल.आई.सी. रोड़, सरस्वती स्कूल के पास, वार्ड नं. 6, बिजयनगर जिला अजमेर।
2. श्री लोकेश कुमार जैन पुत्र श्री रमेश चंद जैन उम्र 30 साल निवासी न्यू कॉलोनी, एल.आई.सी. रोड़, सरस्वती स्कूल के पास, वार्ड नं. 6, बिजयनगर जिला अजमेर।

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही..........

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

..........30,000रू0 रिश्वत राशि..........

10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)..........
..........30,000/– –रू0 रिश्वत राशि ....

11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)....

सेवामें श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक, ए.सी.बी. अजमेर (राज0) विषयः– रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने हेतु। महोदयजी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं प्रार्थी अरूण कुमार जोशी पुत्र श्री शिव प्रसाद जोशी निवासी बिजयनगर का रहने वाला हूॅं। मेरी बिजयनगर नगर पालिका में बी. आर. कन्स्ट्रक्शन नाम से कम्पनी लगभग 2010 से रजिस्टर्ड हैं। मैं सी क्लॉस का कान्ट्रेक्टर हूॅं। जिस का मेरे पास लाईसेंस हैं। मुझे नगर पालिका बिजयनगर मे टैन्डर से वर्ष 2022–23 का वार्ड नं. 6 में विभिन्न स्थानों पर सीसी सड़क निर्माण का ठेका लगभग 15 लाख का जारी हुआ। मैने करीब 20–25 दिन पहले सीसी का कार्य शुरू करवा दिया, जो अब 7–8 दिन पहले पूरा हो चुका हैं। वार्ड नं. 6 का पार्षद महेश रांका मुझ से कार्य शुरू करने के बाद से ही लगातार रिश्वत के लिए राशि की मांग कर रहा हैं। वह अपने वार्ड में कार्य करने के एवज में मुझ से किये गये कार्य की बिल की राशि का 10 प्रतिशत रिश्वत के रूप में मांग रहा है। पार्षद द्वारा मेरे ठेके के किये गये कार्यो का अनुशंषा पत्र जारी करने के बाद ही नगर पालिका से मेरा बिल पास होगा। इसी बात का फायदा उठाकर पार्षद महेश रांका मुझ से मेरी बिल राशि लगभग 12 लाख रूपये का 10 प्रतिशत रिश्वत मांग रहा हैं। पार्षद को मैं रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूॅं बल्कि रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूॅं। मेरी पार्षद से कोई रंजीश नही है और ना ही कोई उधार या लेन–देन बाकी है। प्रार्थी एस.डी. अरूण कुमार जोशी मो.नं. 9828251216

कार्यवाही पुलिस एसीबी अजमेर

दिनांक : 03.10.2022 समय :– 01.30 पीएम

उपरोक्त लिखित रिपोर्ट परिवादी श्री अरूण कुमार जोशी पुत्र श्री शिव प्रसाद जोशी जाति ब्राह्मण उम्र 47 साल निवासी 66, शास्त्री कॉलोनी बिजयनगर, जिला अजमेर पेशा ठेकेदारी ने उपस्थित कार्यालय होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी अजमेर के नाम की मन् उप अधीक्षक पुलिस राकेश कुमार वर्मा के समक्ष प्रस्तुत की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि मेरी फर्म बी.आर. कन्स्ट्रक्शन को नगर पालिका बिजयनगर के पत्रांक 3241 दिनांक 01.08.22 से वार्ड नं. 6 में विभिन्न स्थानो पर सी.सी. सड़क निर्माण कार्य का वर्क ऑर्डर 12.11 प्रतिशत कम में राशि 1318350 रूपये का जारी हुआ था। इस पर मेरे द्वारा उक्त वार्ड में कार्य करने के दौरान वार्ड नं. 6 के पार्षद श्री महेश रांका द्वारा मेरे द्वारा किये गये कार्य के बदले कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र देने की एवज में बिल राशि का 10 प्रतिशत रिश्वत मांग रहा हैं। यदि मैं उक्त राशि नही दूंगा तो वह मेरे द्वारा किये गये कार्य के बदले पार्षद के तोर पर अपना प्रमाण पत्र नही देगा। मैं श्री महेश रांका पार्षद को रिश्वत नही देना चाहता हूँ बल्कि रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। पूछने पर बताया कि मेरी श्री महेश रांका पार्षद से कोई रंजिश नही है ना ही उनसे उधार का कोई लेन–देन बकाया हैं। परिवादी ने प्रार्थना पत्र के साथ अपने आधार कार्ड की फोटो प्रति, ठेकेदारी के लाईसेंस की प्रति, वर्क ऑर्डर की कॉपी, पेन कार्ड की कॉपी प्रस्तुत की, जिस पर परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता हैं। अतः रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाये जाने हेतु परिवादी को सत्यापन की प्रकिया के बारे में समझाईश की गई एवं कार्यालय से डिजिटल वॉयस रिकार्डर निकलवाकर परिवादी को रिकार्डर को ऑपरेट करने एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने के बारे में बताया गया। परिवादी ने बताया कि आरोपी अभी बिजयनगर से बाहर गया हुआ है, इसलिए आज सत्यापन नही हो सकता हैं। आईन्दा अग्रिम कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी। परिवादी श्री अरूण कुमार जोशी को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 05.10.22 को परिवादी श्री अरूण कुमार जोशी ने जरिये वाट्स–अप कॉल मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि आरोपी श्री महेश रांका बिजयनगर में है और उसने मुझे अपनी दुकान पर बुलाया हैं और वो मुझ से रिश्वत की मांग करेगा। श्री शिव सिंह कानि0 547 को ऑफिस में तलब कर परिवादी श्री अरूण कुमार जोशी के मोबाईल नम्बर से अवगत कराया जाकर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने हेतु हिदायत मुनासिब देकर मय वॉयस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड रवाना बिजयनगर रवाना किया जिसने समय 01.50 एएम पर जरिये दूरभाष अवगत कराया कि मैं एसीबी कार्यालय अजमेर से रवाना होकर बिजयनगर पहुँचा, जहां मुझे परिवादी उपस्थित मिला। मैने परिवादी को वॉयस रिकार्डर ऑपरेट करने की समझाईस कर वॉयस रिकार्डर चालू कर आरोपी से रिश्वत राशि की मांग संबंधी वार्ता रिकार्ड कर लाने के लिए रवाना किया तथा मैं बालाजी रोड़, बिजयनगर स्थित महेश हार्डवेयर एवं प्लाईवुड की दुकान के आस–पास अपनी उपस्थिति छिपाकर परिवादी का इन्तजार करने लगा। परिवादी आरोपी श्री महेश रांका पार्षद की दुकान महेश हार्डवेयर में प्रवेश हुआ। कुछ समय बाद परिवादी आरोपी से वार्ता कर मेरे पास आया। मैंने वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बंद किया। परिवादी ने मुझे बताया कि "मैं वॉयस रिकार्डर लेकर श्री महेश रांका की दुकान में गया तथा मेरे वार्ड नं. 6 में सीसी रोड़ के काम के संबंध में वार्ता की तो श्री महेश रांका पार्षद ने मुझे मेरे किये गये कार्य के बदले कार्य पूर्ण होने हेतु लेटर हैड पर लिखकर देने के बदले बिल राशि का पांच प्रतिशत के हिसाब से 75 हजार रूपये की मांग कर 30 हजार रूपये लेटर हैड पर लिख कर देते वक्त एवं शेष राशि बिल बनने पर लेने पर सहमत हुआ हैं।" मैने वॉयस रिकार्डर को चलाकर रिश्वत राशि की मांग संबंधी वार्ता को सुना तो परिवादी के कहे हुए कथनो की ताईद हुई हैं। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय पर उपस्थित आने के निर्देश दिये तो परिवादी ने बताया कि मैं पैसो की व्यवस्था करके आपके पास ऑफिस आ जाउंगा। इस पर कानि0 श्री शिव सिंह मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार परिवादी को बिजयनगर ही छोड़कर कार्यालय उपस्थित आया तथा डिजिटल वांयस रिकार्डर पेश किया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन के संबंध में परिवादी द्वारा बतायी बातो की ताईद की। वॉयस रिकार्डर को चालु कर सुना गया तो परिवादी एवं कानि0 द्वारा बताये गये तथ्यो की पुष्टि हुई। दिनांक 06.10.22 को परिवादी श्री अरूण कुमार जोशी ने उपस्थित कार्यालय

होकर अवगत कराया कि श्री महेश रांका ने मुझे कल दिनांक 07.10.22 को रिश्वत राशि लेकर अपनी दुकान में बुलाया है। इस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान श्री पियुष भाटी, वरिष्ठ सहायक एवं श्री गुल्लाराम कनिष्ठ सहायक, सामान्य शाखा, कार्यालय कलेक्ट्रेट, अजमेर को तलब कर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उनका परिचय प्राप्त किया तथा परिवादी से दोनो गवाहान का आपस में परिचय करवाया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढकर सुनाया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय के वॉयस रिकॉर्डर में डालकर रिकार्डर को चलाकर उसके मुख्य मुख्य अंश सुनाए जाकर दोनो गवाहान से की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति प्राप्त की। तत्पश्चात् रूबरू गवाहान बमौजूदगी परिवादी रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द–ब–शब्द सुन सुन कर तैयार करवाई गई तथा उक्त वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से दो डीवीडी तैयार कर अलग–अलग कागज के लिफाफो में रखी गई तथा मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड कर मार्क एम–1 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् परिवादी को रिश्वत राशि 30,000 रूपये पेश करने के लिए कहा तो परिवादी ने कहा कि आज मेरे पास पैसो की व्यवस्था नही हुई है, कल सुबह तक मैं पैसो की व्यवस्था कर आपको पेश कर दूंगा। इस पर परिवादी श्री अरूण कुमार जोशी को रिश्वत राशि 30 हजार रूपये की व्यवस्था कर आरोपी की लोकेशन पता कर फोन पर सूचित करने हेतु निर्देश दिये जाकर रवाना किया गया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को भी आवश्यक हिदायत कर कार्यालय से रवाना किया गया। दिनांक 07.10.22 को परिवादी श्री अरूण कुमार जोशी ने वाट्स–अप कॉल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी श्री महेश रांका पार्षद बिजयनगर मौजूद है तथा उसने मुझे आज 11–12 बजे तक अपनी दुकान पर रिश्वत राशि लेंकर बुलाया हैं। उसी समय श्री महेश रांका मेरे को लेटर हैड़ पर कार्य पूर्ण होने के संबंध में लिखकर देगा तथा मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त करेगा। मेरे पास पैसो की व्यवस्था भी हो गई है तथा मैं आपको बिजयनगर से पहले चिरमी होटल के पास मिल जाउंगा। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री गुल्लाराम, श्री पियुष भाटी, एसीबी स्टॉफ श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 58, श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0 120, श्री शिव सिंह कानि0 547, श्री गोविन्द सहाय शर्मा कानि0 01, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 308, श्रीमती रूचि महिला कानि0 321 के हैण्ड बैग में फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी रखवाकर मय ट्रेप बॉक्स एवं लेपटॉप, प्रिंटर सहित प्राईवेट वाहनों एवं सरकारी बोलेरो वाहन मय चालक श्री सुरेश कानि0 के अजमेर से रवाना होकर विजयनगर से कुछ पहले नेशनल हाईवे के पास बांयी तरफ स्थित चिरमी होटल के पास पहुँचा, जहां पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री अरूण कुमार जोशी उपस्थित मिला। दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री गुल्लाराम एवं श्री पियुष भाटी की उपस्थिति मे परिवादी श्री अरूण कुमार जोशी को रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 60 नोट कुल 30,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये, जिन पर श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि0 321 से हैण्ड बैग में से फिनोफथलीन पाउडर निकलवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो पर श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि0 321 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री अरूण कुमार जोशी द्वारा पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडरयुक्त नोट रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रकिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा सभी का आपस मे परिचय करवाया गया एवं की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाया गया। श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि0 को मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी के अजमेर के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री अरूण कुमार जोशी को वॉयस रिकार्डर ऑपरेट करने की समझाईस कर वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर श्री शिव सिंह कानि0 को सुपुर्द कर परिवादी को मय श्री शिव सिंह कानि0 के परिवादी की स्कूटी से रिश्वत राशि लेन–देन हेतु आरोपी श्री महेश रांका पार्षद वार्ड नं. 6 बिजयनगर की दुकान महेश प्लाईवुड एवं हार्डवेयर की ओर रवाना कर पीछे–पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के प्राईवेट वाहनो से रवाना होकर परिवादी द्वारा बताई गई दुकान महेश हार्डवेयर एवं प्लाईवुड के पास पहुँच मुकिम हुआ। इसी दौरान

परिवादी श्री अरूण कुमार जोशी उक्त दुकान में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के वाहनो में ही अपनी उपस्थित छिपाते हुए उक्त दुकान के आस–पास ही परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय 12.03 पीएम पर परिवादी श्री अरूण कुमार जोशी ने रिश्वत राशि देने के पश्चात् रिश्वत लेन–देन का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर दुकान के सामने खडे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0, श्री युवराज सिंह कानि0, श्री शिव सिंह कानि0, श्री गोविन्द शर्मा एवं स्वतन्त्र गवाह श्री पियुष भाटी को साथ लेकर बालाजी रोड़ होण्डा शोरूम के पास बिजयनगर स्थित महेश हार्डवेयर एवं प्लाईवुड़ दुकान में पहुँचा तथा शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों को भी हाथ से उक्त दुकान में पहुँचने का ईशारा किया, जिस पर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 एवं स्वतन्त्र गवाह श्री गुल्लाराम भी उक्त दुकान पर पहुँचे। उक्त दुकान में पहुँचकर परिवादी से वॉयस रिकार्डर प्राप्त किया। रिकार्डर का अवलोकन किया गया तो रिकार्डर का स्वीच ऑफ होना पाया गया। परिवादी ने दुकान में लगे काउन्टर की कुर्सी के सामने लगी सेठी पर बैठे हुए व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यही महेश जैन पार्षद हैं तथा सामने काउन्टर पर लगी कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति जो नोट गिन रहा था की और ईशारा कर बताया कि यह महेश जैन का छोटा भाई लोकेश जैन हैं। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त दोनो व्यक्तियो को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर परिचय पूछा तथा आने का प्रयोजन बताया। रिश्वत राशि के संबंध में पूछने पर परिवादी ने बताया कि "अभी थोड़ी देर पहले मैं महेश जैन के पास आया और मेरे द्वारा इनके वार्ड नं. 6 में किये गये सीसी रोड़ के कार्य संतोषपूर्वक पूर्ण होने के संबंध में बात हुई तो इन्होने पांर्षद के लेटर पेड पर लिखकर दिया तथा रिश्वत राशि मांगी तो मैंने अपनी जेब से निकालकर 30,000 रूपये इनको देने लगा तो इन्होने अपने सामने काउन्टर पर बैठे छोटे भाई लोकेश जैन को देने के लिए कहा, जो मैने लोकेश जैन को दे दिये। महेश जैन पार्षद ने अपने केलकुलेटर में बिल राशि लगभग 15 लाख रूपये का 5 प्रतिशत के हिसाब से गणना कर कुल 75 हजार रूपये मे से 30 हजार रूपये घटाते हुए 45 हजार रूपये और देने के लिए कहा। इसके बाद मैने आपको ईशारा कर दिया और आप लोग आ गये।" इस पर परिवादी के उक्त कथनो के संबंध में आरोपी श्री महेश जैन पार्षद को पूछा तो महेश जैन कहा कि "मैने कोई रिश्वत नही ली, ये एक महिने पहले प्लाईवुड ले गया था, जिसके पैसे बाकी थे, जो 30 हजार रूपये मैने मेरे भाई लोकेश जैन को दिलवाये हैं।" इस पर पुनः पूछा कि इसके द्वारा प्लाईवुड खरीदने का बिल कहा है तथा बाकी/उधार ले जाने के संबंध में क्या रिकार्ड हैं, जिस पर बताया कि "रिकार्ड कोई नही हैं गलती हो गई, मेरे भाई का कोई दोष नही हैं, सभी पार्षद कार्य संतोषपूर्ण होने का प्रमाण पत्र देते हैं, जिसकी एवज में बिल राशि का 5 प्रतिशत लेते हैं, इसलिए मैने भी सिस्टम के अनुसार ही 5 प्रतिशत मांगे थे, जो कार्य की राशि लगभग 15 लाख रूपये के हिसाब से 75 हजार रूपये होते हैं, जिसमें से अभी इसने 30 हजार रूपये दिये तथा शेष 45 हजार रूपये बिल पास होने के बाद देने के लिए कहा। इसने 30 हजार रूपये दिये, जो मेरा भाई लोकेश जैन लेकर गिन रहा था कि आप लोग आ गये, जो अभी भी इसके हाथ मे ही हैं।" इस पर लोकेश जैन जिसके हाथ में 500–500 रूपये के नोट थे को उसके हाथ मे ही रखने के निर्देश दिये तथा उससे पूछा कि आपने यह रूपये परिवादी श्री अरूण जोशी से किस बात के लिये हैं ? इस पर लोकेश जैन ने बताया कि "अरूण जोशी अभी थोडी देर पहले हमारी दुकान पर आया तथा मेरे बडे भाई महेश जैन से बात करते हुए कहा कि मैने काम पूर्ण कर दिया है, मुझे लेटर पेड़ पर लिखकर दे दो मेरा बिल पास हो जायेगा, जिस पर महेश ने इसे लिखकर दे दिया तथा लेटर पेड पर सील लगाने की कहने पर मैने दराज मे से पार्षद वार्ड नं. 6 की सील निकालकर लगा दी। इसके बाद अरूण जोशी ने कुछ रूपये निकालकर महेश को देने लगा तो महेश ने मुझे देने के लिए कहा। अरूण ने रूपये दिये, जो रूपये हाथ मे लेकर मैं 500–500 रूपये के नोटो को गिन ही रहा था कि आप लोग आ गये।" इस पर पुनः पूछा कि आपको इस बात की जानकारी है कि आपके भाई ने उक्त रूपये आपको किस बात के दिलाये तब लोकेश जैन ने कहा कि "हम तो पहली बार पार्षद बने हैं। अरूण जोशी ने ही 30 हजार रूपये देते हुए कहा कि ये पकड़ो, बाजार में जो सिस्टम चल रहा है, उसके हिसाब से बिल पास होने के बाद और दे दूंगा। मेरे भाई महेश ने केलकुलेटर में हिसाब कर 45 हजार रूपये और देने के लिए कहा था। इससे पहले मेरी अरूण से इस संबंध में कभी कोई बात नही हुई। महेश और अरूण की पहले कभी बात हुई हो तो मुझे जानकारी नही हैं।" इसके बाद आरोपी श्री लोकेश जैन के हाथ मे रखे हुए 500–500 रूपये के नोटो को गवाह श्री गुल्लाराम को दिलवाये गये तथा गवाह को सुरक्षित रखने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् ट्रेप

बॉक्स में से एक साफ कांच का गिलास व दुकान से एक स्टील का गिलास लेकर उक्त दुकान में रखी पानी की बोतल मे से पानी लेकर गिलासो को पुनः साफ करवाकर दोनो गिलासो मे क्रमशः साफ पानी भरकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर कांच के गिलास के घोल में आरोपी श्री लोकेश जैन के दाहिने हाथ व दुसरे स्टील के गिलास के घोल में आरोपी श्री लोकेश जैन के बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो दोनो हाथो के धोवण का रंग गुलाबी हो गया। दाहिने हाथ के धोवण को दो कांच की शीशीयो मे आधा–आधा भरकर दोनो को सील्ड चिट किया जाकर मार्क क्रमंशः आर.एच.–1, आर. एच.–2 एवं बांये हाथ के धोवण को दो कांच की शीशीयो में आधा–आधा भरकर दोनो को सिल्ड चिट किया जाकर मार्क क्रमशः एल.एच.–1, एल.एच.–2 चिन्हित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की दुकान के काउन्टर की दराज की तलाशी लेकर आवश्यक सामग्री वजह सबूत कब्जे एसीबी लिये जाने हेतु हमराह ली गई। दुकान में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज से संबन्धित डीवीआर को भी उतरवाकर हमराह लिया गया। तत्पश्चात् मौके पर भीड़ एकत्रित होने से एवं कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने की आंशका होने से दुकान को बंद करवाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो आरोपीगण, स्वतन्त्र गवाहान, मय हमराहीयान स्टॉफ मय कब्जाशुदा आर्टिकल मौके से प्राईवेट वाहनो से रवाना होकर पुलिस थाना बिजयनगर पहुँचा। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने पुलिस थाना बिजयनगर के स्वागत कक्ष में बैठकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आरंभ की गई। बरामदशुदा रिश्वत राशि 30,000 रूपये, जो गवाह श्री गुल्लाराम के पास रखवाये गये थे का पूर्व में मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से दोनो गवाहान से मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहु होना बताया गया। बरामदशुदा उपरोक्त नोटो पर एक सफेद कागज में सिल्ड चिट कर मार्क एन अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। परिवादी की दुकान से लाये गये रिकार्ड का अवलोकन किया गया जाकर फर्द बरामदगी में अंकित क्रम संख्या 1 से 5 तक के रिकार्ड के प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबन्धित हस्ताक्षर करवाकर एवं क्रम संख्या 6 पर अंकित मोहर को एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सिल्ड कर मार्क एस अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया, शेष रिकार्ड आरोपी श्री महेश कुमार जैन के उपस्थित आये पिता श्री रमेश चंद जैन पुत्र श्री जंवरी लाल जैन को लौटाया गया। पार्षद द्वारा परिवादी को सीसी रोड़ के पूर्ण किये गये कार्य के संतोषपूर्ण करने के संबंध में अपने लेटर हैड पर लिखकर दिया, जिसकी फोटो कॉपी करवाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया एवं मूल लेटर हैड परिवादी को सुपुर्द किया गया। श्री गोविन्द सहाय शर्मा कानि0 से साथ लायी गई डीवीआर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर चलाकर देखा गया तथा ट्रेप कार्यवाही से संबन्धित रिकार्डिंग की कम्प्यूटर की सहायता से एक पेन ड्राईव में कॉपी की गई। मूल डीवीआर को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील्ड कर मार्क डी अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी ली गई। पेन ड्राईव में कॉपी की गई रिकार्डिंग की कम्प्यूटर की सहायता से तीन डीवीडी तैयार की गई। पेन ड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील्ड कर मार्क पी अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। दो डीवीडी आरोपीगण एवं एक अनुसंधान अधिकारी के लिए कुल तीन डीवीडी अलग–अलग कागज के लिफाफो में खुली हालत में रखी गई। आरोपीगण श्री महेश कुमार जैन एवं श्री लोकेश कुमार जैन को जरिए फर्द पृथक–पृथक गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही की फर्द बरामदगी एवं धुलाई तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। काउन्टर पर जिस जगह रिश्वत राशि रखी गई थी, उस जगह का धोवण लिया जाना आवश्यक होने व घटना स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब करने के लिए मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाह, एसीबी स्टॉफ श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0, श्री युवराज सिंह हैड़ कानि.0, श्री रविन्द्र सिंह कानि0, श्री शिव सिंह कानि0, मय गिरफ्तारशुदा मुल्जिमान श्री महेश कुमार जैन एवं श्री लोकेश कुमार जैन मय परिवादी मय प्राईवेट वाहनो से थाना बिजयनगर से रवाना होकर महेश हार्डवेयर एवं प्लाईवुड कस्बा बिजयनगर पहुँचा। डीवीआर में दिखायी देने के अनुसार परिवादी ने काउन्टर (टेबल) के जिस स्थान पर रिश्वत राशि रखी थी, उसका धोवण लिया जाना आवश्यक होने से दुकान में रखे एक स्टील के गिलास को दुकान में रखी पानी की बोतल में से पानी लेकर साफ धोकर गिलास में पानी भरकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गिलास के घोल में रूई का फोंहा डूबोकर काउन्टर पर रिवशत राशि रखने के स्थान पर फोंहे से रगडकर पुन गिलास में डूबोकर धोवण लिया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया। धोवण को दो कांच की शीशीयो मे आधा–आधा भरकर दोनो को सील्ड चिट किया जाकर मार्क

क्रमंशः टी.–1, टी–2 चिन्हित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी की निशादेही से दोनो स्वतन्त्र गवाह की उपस्थिति में घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका घटना स्थल तैयार किया गया। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के मौके से रवाना होकर पुलिस थाना बिजयनगर पहुँचा। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, गिरफ्तारशुदा मुल्जिमान श्री महेश कुमार जैन एवं श्री लोकेश कुमार जैन, एसीबी स्टॉफ, जब्तशुदा आर्टिकल, मुर्तिबा फर्दात, लेपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स के प्राईवेट एवं सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेश कुमार कानि0 के पुलिस थाना बिजयनगर से रवाना होकर एसीबी ऑफिस अजमेर पहुँचा तथा जब्तशुदा आर्टिकल माफिक फर्द जमा मालखाना करवाये गये। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को रूखसत किया गया। गिरफ्तारशुदा मुलिजमान श्री महेश कुमार जैन एवं श्री लोकेश कुमार जैन को पुलिस थाना सिविल लाईन, अजमेर की हवालात में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 08.10.2022 को परिवादी श्री अरूण कुमार जोशी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान कार्यालय में उपस्थिति आये। परिवादी एवं गवाहान की उपस्थिति मे दिनांक 07.10.2022 को परिवादी व आरोपी श्री महेश कुमार जैन के मध्य लेन–देन के समय रूबरू हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता डिजीटल वॉइस रिकार्डर मे लगे 16जी. बी. एस.डी. कार्ड मे रिकार्ड है, को शब्द ब शब्द सुनकर ट्रांसस्क्रिप्ट बनवाई गई। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से तीन डीवीडीयां तैयार की जाकर अलग–अलग कागज के लिफाफे मे रखी गई एवं मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थेली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर मार्क **"एम–2"** अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया।

उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री महेश कुमार जैन पार्षद वार्ड नं. 6, नगर पालिका बिजयनगर, जिला अजमेर द्वारा परिवादी श्री अरूण कुमार जोशी की फर्म बी.आर. कन्स्ट्रक्शन द्वारा नगर पालिका बिजयनगर के वार्ड नं. 6 में विभिन्न स्थानो पर सी.सी. सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करने पर लेटर हैड़ पर लिखकर देने की एवज में दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 05.10.22 को परिवादी से उसके द्वारा करवाये गये कार्य की बिल राशि 14,48,000 रूपये का 5 प्रतिशत का राउण्ड फिगर में 75000 रूपये रिश्वत मांग कर परिवादी को बाद कटौति होने वाले 12 लाख रूपये के भुगतान का 60 हजार रूपये की आधी राशि बिल पास होने से पूर्व कार्य पूर्ण होने के संबंध में लेटर हैड़ पर लिखकर देने के समय 30 हजार रूपये लेना तय कर आज दिनांक 07.10.22 को वक्त ट्रेप कार्यवाही अपनी मांग अनुसार 30,000 रूपये रिश्वत राशि परिवादी से अपने भाई श्री लोकेश जैन को दिलवाई, जो रिश्वत राशि 30,000 रूपये उसकी महेश हार्डवेयर की दुकान पर बैठे हुए आरोपी के छोटे भाई श्री लोकेश जैन के हाथो से बरामद हुई। आरोपी श्री लोकेश कुमार जैन के दोनो हाथो के धोवण का रंग गुलाबी होना एवं काउन्टर (टेबल) पर रिश्वत राशि रखे जाने वाले स्थान के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया हैं। इस प्रकार श्री महेश कुमार जैन पुत्र श्री रमेश चंद जैन उम्र 32 साल निवासी न्यू कॉलोनी, एल.आई.सी. रोड़, सरस्वती स्कूल के पास, वार्ड नं. 6, बिजयनगर जिला अजमेर एवं श्री लोकेश कुमार जैन पुत्र श्री रमेश चंद जैन उम्र 30 साल निवासी न्यू कॉलोनी, एल.आई.सी. रोड़, सरस्वती स्कूल के पास, वार्ड नं. 6, बिजयनगर जिला अजमेर का उक्त कृत्य जुर्म अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 एवं 120बी भा.द.सं. का कारित करना पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।

(राकेश कुमार वर्मा)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राकेश कुमार वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त 1. श्री महेश कुमार जैन पुत्र श्री रमेश चंद जैन, पार्षद, वार्ड नं. 6, नगर पालिका बिजयनगर, अजमेर एवं 2. श्री लोकेश जैन पुत्र श्री रमेश चंद जैन, निवासी न्यू कॉलोनी, एल.आई.सी रोड़, सरस्वती स्कूल के पास, बिजयनगर, जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 396/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 3453-57 दिनांक 8.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।